06.02.23 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उप०। प्रार्थी के वकील ने उप० होकर निवेदन किया कि पत्रावली में वे आगे कार्यवाही नहीं करवाने चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र 212 द०प्र०सं० स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

Sd/-

उपखण्ड ... कौरी

... (...0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramkishor Mina
Date: 2025.06.13 11:43:37 IST
Reason: SelfAttested